राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग) के अन्तर्गत जनपद मीरजापुर में ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 19.05.2025 को "जल जीवन मिशन" योजनान्तर्गत आगामी गर्मी को दृष्टिगत रखते हुये पेयजल समस्याओं के निदान हेतु समस्त कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा कराये गये कार्यो/निर्बाध जलापूर्ति एवं उत्पन्न हो रही समस्याओं के निराकरण एवं दैनिक रूप से समाचार पत्र में प्रकाशित पेयजल की समस्या हेतु मुख्य विकास अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, कार्यदायी संस्था मेघा इंजीनियरिंग लि0 (तालर ग्राम समूह पेयजल योजना) व जी0वी0पी0आर0 लि0 (लेदुकी ग्राम समूह पेयजल योजना) से सम्बन्धित ग्राम प्रधानों एवं पंचायत सचिवों की उपस्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा समीक्षा बैठक की गयी। समीक्षा के दौरान निम्न अधिकारी/अभियन्ता/परियोजना प्रबन्धकों द्वारा प्रतिभाग किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है:

1. मुख्य विकास अधिकारी, मीरजापुर।
2. अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे, मीरजापुर।
3. खण्ड विकास अधिकारी राजगढ़।
4. अधीक्षण अभियन्ता विद्युत विभाग, मीरजापुर।
5. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम ग्रामीण, मीरजापुर।
6. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम विद्युत यांत्रिक, सोनभद्र।
7. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय/कछवॉ एवं चुनार, मीरजापुर।
8. सहायक विकास अधिकारी राजगढ़।
9. पंचायत सचिव राजगढ़।
10. समस्त परियोजना प्रबन्धक, जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट, मीरजापुर।
11. विकास खण्ड राजगढ़ एवं
12. पटेहरा के समाचार पत्र में प्रकाशित पेयजल की समस्या से सम्बन्धित ग्राम प्रधान।
13. टीम लीडर पी0एम0सी0/टी0पी0आई0 मीरजापुर।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक के दौरान लेदुकी ग्राम समूह पेयजल योजना विकास खण्ड पटेहरा के ग्राम पंचायतवार कार्य प्रगति का विवरण निम्नवत् है:-

- <u>हर्दी मिश्र</u> उक्त ग्राम पंचायत अन्तर्गत ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि टैंकर से पानी की जलापूर्ति की जा रही है। खण्ड विकास अधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत कुछ स्थानों पर पानी की जलापूर्ति सुबह के समय 1 से 2 घण्टे अनिरन्तर रूप से की जाती है।
- <u>मर्चा</u> उक्त ग्राम पंचायत अन्तर्गत ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि पानी की जलापूर्ति नही की जा रही है केवल रोड के किनारे मात्र 25 से 30 घरों में पानी की जलापूर्ति की जा रही है। तद्क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे एवं अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि दो दिवस के अन्दर उपरोक्त ग्राम पंचायत का स्थलीय निरीक्षण करते हुये सत्यापन आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

CamScanner

- **रैकरा** उक्त ग्राम पंचायत के अर्न्तगत ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि मात्र 30 प्रतिशत पानी की जलापूर्ति की जाती है तथा बरौनी मजरा एवं बेलाही के टेढ़वा में पानी की जलापूर्ति पूर्ण रूप से बाधित है।

- **सिरसी** उक्त ग्राम पंचायत के अर्न्तगत ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पंचायत के राजस्व ग्राम हिनौती, अटारी एवं सिरसी में पानी की जलापूर्ति पूर्ण रूप से बाधित है। तथा कई घरों में टोटी लगाये जाने का कार्य लंबित है। तद्‌क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा खण्ड विकास अधिकारी एवं कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान की उपस्थिति में दो दिवस के अन्दर उपरोक्त ग्राम पंचायत का स्थलीय निरीक्षण करते हुये सत्यापन आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- **रामपुर** उक्त ग्राम पंचायत के अर्न्तगत ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त राजस्व ग्राम के कुल 04 मजरों में से 02 मजरो में पानी की जलापूर्ति की जाती है तथा 02 मजरों में प्रेशर की समस्या के कारण जलापूर्ति पूर्ण रूप से बाधित है।

- **पचोखरा खुर्द** उक्त ग्राम पंचायत के अर्न्तगत ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त पंचायत अन्तर्गत पानी की जलापूर्ति पूर्ण रूप से बाधित है। तद्‌क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान की उपस्थिति में दो दिवस के अन्दर उपरोक्त ग्राम पंचायत का स्थलीय निरीक्षण करते हुये सत्यापन आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- **ककरद** उक्त ग्राम पंचायत के अर्न्तगत ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि लगभग 100 घरों के लगदा बस्ती में पानी की जलापूर्ति पूर्ण रूप से बाधित है। तथा राजस्व ग्राम रैकल में पानी की जलापूर्ति बाधित है। तद्‌क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि दक्षिण दिशा पाइप लाइन चोक होने के कारण जलापूर्ति बाधित है। तद्‌क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त ग्राम पंचायत के अन्तर्गत नई पाइप लाइन बिछाकर सात दिवस के अन्दर पानी की जलापूर्ति शुरू किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे एवं अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि दो दिवस के अन्दर उपरोक्त ग्राम पंचायत का स्थलीय निरीक्षण करते हुये सत्यापन आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- **पियुरी** उक्त ग्राम पंचायत के अर्न्तगत ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि लगदा बस्ती में पानी की जलापूर्ति बाधित है तथा आर0आर0सी0 सेन्टर पर नल कनेक्शन का कार्य लंबित है। तथा राजस्व ग्राम नौरथवा में पानी की जलापूर्ति बाधित है एवं ओबराडीह में 25 से 30 घरों में पानी की जलापूर्ति की जाती है। तथा 30 घरों में नल कनेक्शन का कार्य लंबित है। तद्‌क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे एवं अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया गया कि दो दिवस के अन्दर उपरोक्त ग्राम पंचायत का स्थलीय निरीक्षण करते हुये सत्यापन आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- **सरहसा** उक्त ग्राम पंचायत के अर्न्तगत ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि पानी की जलापूर्ति कभी-कभी की जाती है। तथा राजस्व ग्राम बनकी एवं पठरकवा में पानी की जलापूर्ति पूर्ण रूप से बाधित है। तद्‌क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान की उपस्थिति में

CS CamScanner

7 दिवस के अन्दर समस्त समस्याओं का निराकरण करते हुये अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक के दौरान तालर एवं धौहा ग्राम समूह पेयजल योजना विकास खण्ड राजगढ़ के ग्राम पंचायतवार कार्य प्रगति का विवरण निम्नवत् है:-

- <u>बिशुनपुर</u> उक्त ग्राम पंचायत अन्तर्गत ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि पानी की जलापूर्ति 10 से 15 दिनों में 01 बार की जाती है। तथा कई बस्तियों में पानी की जलापूर्ति पूर्ण बाधित है।
- <u>करौंदा</u> उक्त ग्राम पंचायत अन्तर्गत ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि 02 मजरों के 60 से 70 घरों में पानी की जलापूर्ति बाधित है।
- <u>मडफा</u> उक्त ग्राम पंचायत अन्तर्गत ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि पानी की जलापूर्ति नही की जाती है। तथा मुसहर बस्ती के 150 घरों में पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य अवशेष है।
- <u>ददरा मु0 रामपुर</u> उक्त ग्राम पंचायत अन्तर्गत ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि रोड के एक तरफ पानी की जलापूर्ति की जाती है तथा रोड के दुसरे तरफ पाइप ज्वाइन्टिंग न किये जाने के कारण पानी की जलापूर्ति बाधित है। तथा सामुदायिक शौचालय के पास गड्डा भरने का कार्य लंबित है।
- <u>देवुपरा</u> उक्त ग्राम पंचायत अन्तर्गत ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व ग्राम देवपुरा के पहाड़ी में 25 से 30 घरों में पानी की जलापूर्ति बाधित है। तथा राजस्व ग्राम जोधीपुर में भी पानी की जलापूर्ति पूर्ण रूप से बाधित है।
- <u>कुटारी</u> उक्त ग्राम पंचायत अन्तर्गत ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व ग्राम कुटारी में मात्र 3 घरों में पानी की जलापूर्ति की जा रही है। तथा राजस्व ग्राम सेमरी के 15 घरों में पानी की जलापूर्ति की जाती है।
- <u>रामुपर-33</u> उक्त ग्राम पंचायत अन्तर्गत ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व ग्राम सेमरी मु देवपुरा, सेमरी एवं देवपुरा में पानी की जलापूर्ति पूर्ण रूप से बाधित है।
- <u>कुन्दरूफ</u> उक्त ग्राम पंचायत अन्तर्गत ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि 50 प्रतिशत पानी की जलापूर्ति की जा रही है। हरजन एवं कोल बस्ती में जलापूर्ति पूर्ण रूप से बाधित है।
- <u>कुबा खुर्द</u> उक्त ग्राम पंचायत अन्तर्गत ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि पानी की जलापूर्ति सुबह के समय 1 घण्टे निरन्तर रूप से की जाती है।
- <u>दारानगर</u> उक्त ग्राम पंचायत अन्तर्गत ग्राम प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि राजस्व ग्राम लहास एवं कुसुम्हा में पानी की जलापूर्ति पूर्ण रूप से बाधित है।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा बैठक के दौरान सम्बन्धित समस्त प्रधानों/विभागीय अधिकारियों एवं समस्त कार्यदायी संस्थाओं को निम्न <u>बिन्दुओं पर तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया</u> :-

- **समस्त ग्राम प्रधानों** की निर्देशित किया गया कि ग्रामें में शत् प्रतिशत निर्बाध जलापूर्ति, हाउस कनेक्शन, सामुदायिक केन्द्रो में हाउस कनेक्शन, रोड रेस्टोरेशन इत्यादि पूर्ण होने के उपरान्त ही हर घर जल प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किया जाना सुनिश्चित करें।
- **समस्त ग्राम प्रधानों** को निर्देशित किया जाता है कि पेयजल आपूर्ति को दृष्टिगत रखते हुये पाइप लाइन क्षतिग्रस्त एवं सिंचाई हेतु कार्यो में सावधान बरती जाये।

CamScanner

- **समस्त कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धक** को निर्देशित किया गया कि खण्ड विकास अधिकारी से समन्वय स्थापित एवं समस्यत सामुदायिक केन्द्रों/ओ0एच0टी0 लोकेशन पर पम्प आपरेटर, मैन्टेनैन्स टीम एवं साइट इंजी0 नाम एवं मोबाइल नम्बर दर्ज कराना सुनिश्चित करें।
- **समस्त कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धक** को निर्देशित किया गया कि पानी की जलापूर्ति कम से कम 4 घण्टे सुबह एवं शाम को किया जाना सुनिश्चित करें।
- **समस्त कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धक** को निर्देशित किया गया कि आगामी गर्मी को दृष्टिगत रखते हुये समस्त ग्राम समूह पेयजल योजनाओं पर विद्युत आपूर्ति न होने के पश्चात् जनरेटर के द्वारा समस्त राजस्व ग्रामों में निर्बाध जलापूर्ति पूर्ण रूप से किया जाना सुनिश्चित करें जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी। तथा दिये गये निर्देश पालन न किये जाने पर आपके संस्था के विरूद्ध ब्लैकलिस्टेड किये जाने हेतु पत्र उच्चाधिकारियों को अग्रेषित कर दिया जायेगा।
- **समस्त कार्यदायी संस्था के परियोजना प्रबन्धक** को निर्देशित किया गया कि समस्त पम्प हाउस एवं ओ0एच0टी0 लोकेशन पर कन्ट्रोल रूम स्थापित करते हुये कन्ट्रोल रूम का सम्पर्क नं0 सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी एवं सम्बन्धित ग्राम प्रधानों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे की ग्रामवासियों द्वारा की गई शिकायतों समाधान जल्द से जल्द की जा सके।
- **अहुगी कला ग्राम समूह पेयजल योजना के परियोजना प्रबन्धक** को निर्देशित किया गया कि राजस्व ग्राम केडवर, बंजारी खुर्द, चौरा, खजुहट, सुबाव कला, बरडीहा, भैसोड़ बलाय पहाड़, उक्त राजस्व ग्राम में जलापूर्ति पूर्ण रूप से बाधित है। तद्क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि जिसमें बूस्टर पम्प एवं जनरेटर के माध्यम से पानी की जलापूर्ति दो दिवस के अन्दर शुरू किया जाना सुनिश्चित करें। जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी। तथा दिये गये निर्देश पालन न किये जाने पर आपके संस्था के विरूद्ध ब्लैकलिस्टेड किये जाने हेतु पत्र उच्चाधिकारियों को अग्रेषित कर दिया जायेगा।
- **महादेव ग्राम समूह पेयजल योजना के परियोजना प्रबन्धक** को निर्देशित किया गया कि राजस्व ग्राम धसड़ा एवं बामी में पानी की जलापूर्ति बाधित है। तद्क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि जिसमें बूस्टर पम्प एवं जनरेटर के माध्यम से पानी की जलापूर्ति दो दिवस के अन्दर शुरू किया जाना सुनिश्चित करें। जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी। तथा दिये गये निर्देश पालन न किये जाने पर आपके संस्था के विरूद्ध ब्लैकलिस्टेड किये जाने हेतु पत्र उच्चाधिकारियों को अग्रेषित कर दिया जायेगा।
- **खण्ड विकास अधिकारी लालगंज** के द्वारा अवगत कराया गया कि 31 राजस्व ग्रामों के 67 मजरों में पानी की जलापूति पूर्ण रूप से बाधित है। एवं **खण्ड विकास अधिकारी पटेहरा** के द्वारा अवगत कराया गया कि 19 राजस्व ग्रामों के 21 मजरों में पानी की जलापूति पूर्ण रूप से बाधित है। तद्क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देशित किया गया कि जिसमें बूस्टर पम्प एवं जनरेटर के माध्यम से पानी की जलापूर्ति दो दिवस के अन्दर शुरू किया जाना सुनिश्चित करें। जिसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी। तथा दिये गये निर्देश पालन न किये जाने पर आपके संस्था के विरूद्ध ब्लैकलिस्टेड किये जाने हेतु पत्र उच्चाधिकारियों को अग्रेषित कर दिया जायेगा।
- **समस्त खण्ड विकास अधिकारी** को निर्देशित किया गया कि पंचायत सचिवों में माध्यम से ग्राम प्रधानों के साथ प्रत्येक राजस्व ग्रामों का स्थलीय निरीक्षण करते हुये जाँच आख्या दो से तीन दिवस के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- **समस्त खण्ड विकास अधिकारी** को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन' के तहत समस्त शिकायतों का रजिस्टर बनाते हुये सम्बन्धित कार्यदायी संस्था की 03 दिवस पर समीक्षा बैठक में आहूत किया जाना सुनिश्चित करें।

CamScanner

- **समस्त खण्ड विकास अधिकारी** को निर्देशित किया गया कि पेयजल परियोजना से सम्बन्धित समस्त घटकों पर जनरेटर के सत्यापन हेतु ग्राम प्रधान से समन्यच स्थापित करते हुये सम्बनिधत राजस्व ग्राम के किसी व्यक्ति की ड्यूटी लगाकर सत्यापन कराना सुनिश्चित करें कि कार्यदायी संस्था के द्वारा विद्युत आपूर्ति न होने पर जनरेटर चलाया जा रहा है अथवा नही ?
- **अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण** को निर्देशित किया गया कि समस्त कार्यदायी संस्था के द्वारा बिछायी गयी पाइप लाइन की गुणवत्ता का सत्यापन कराते हुये तीन दिवस के अन्दर जांच आख्या अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
- **अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण** को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक साप्ताह दो विकास खण्डों से सम्बन्धित ग्राम प्रधानों की उपस्थिति में समीक्षा बैठक करने के पश्चात् प्रकाशित होने वाली समस्त समस्याओं समाधान हेतु कार्यदायी संस्था के स्टेट हेड को शो-कॉश नोटिस जारी किया जाना सुनिश्चित करें।
- **अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे एवं अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण** को निर्देशित किया गया कि विकास खण्ड पटेहरा, सिटी, हलिया, राजगढ़ एवं पहाड़ी के राजस्व ग्रामों का स्थलीय निरीक्षण एवं साप्ताहिक समीक्षा बैठक किया जाना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न करने वाली संस्था के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी तथा पेयजल संकट समस्या को दृष्टिगत रखते हुये समस्त राजस्व ग्रामों एवं प्राथमिक विद्यालयों में पानी की निर्बाध जलापूर्ति किया जाना सुनिश्चित करें। अन्यथा के स्थिति में आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को पत्र प्रेषित कर दिया जायेगा।

(प्रियंका निरंजन)
जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

कार्यालय जिलाधिकारी, मीरजापुर।

पत्रांक- 952 /आ0लि0-नमामि गंगे-2025 दिनांक 21 मई, 2025

---000---

प्रतिलिपि- **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य विकास अधिकारी, मीरजापुर।
4. अपर जिलाधिकारी, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति, मीरजापुर।
5. अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल, मीरजापुर।
6. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), मीरजापुर।
7. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, मीरजापुर।
8. टीम लीडर, पी0एम0सी0/टी0पी0आई0, मीरजापुर।
9. समस्त परियोजना प्रबन्धक, कार्यदायी संस्था जल जीवन मिशन, मीरजापुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
मीरजापुर।

CamScanner